तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 4278 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम बुध्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री एस0पी0ओझा, उप राजकीय अभिभाषक।
अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक : 20—11—2025

निर्णय

यह रेफरेन्स अतिरिक्त जिला कलक्टर(तृतीय), जयपुर ने राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 29—05—2006 द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार आमेर ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र राजस्व मण्डल, अजमेर को प्रस्तुत करते हुये कथन किया कि बन्दोबस्त संवत 2008 में ग्राम सिस्यावास तहसील आमेर के खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज थी जिसके वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2046 के अनुसार नवीन खसरा नं0 82 रकबा0.29 हवै0 को जमाबन्दी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही पुजारी रामगोपाल वल्द दुर्गाबक्स, रामगोपाल वल्द रामचन्द्र कोम ब्राहम्ण के नाम अंकित कर दी गई तथा वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड कर दी गई। भगवान की मूर्ति कानून में नाबाबिग माना गया है, नाबालिग की भूमि पर उपरोक्त वर्णित खातेदारी को भू—प्रबंधक विभाग द्वारा वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार अप्रार्थी के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जिसे वापस मन्दिर श्री गोपालजी के नाम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 4278 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम बुध्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी को जवाब हेतु अवसर दिए जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर समाप्त किया गया। तहसीलदार द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या अवैधानिक क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अतः यह रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में दर्ज किए गए खातेदारी अधिकारों को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए जावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत राजस्व रिकोर्ड अनुसार इस प्रकार कि ग्राम सिस्यावास तहसील आमेर के खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज थी जिसके वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2046 के अनुसार नवीन खसरा नं0 82 रकबा0.29 हवै0 को जमाबन्दी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही पुजारी रामगोपाल वल्द दुर्गाबक्स, रामगोपाल वल्द रामचन्द्र कोम ब्राहम्ण के नाम अंकित कर दी गई है। उक्त माफी मंदिर की आराजी का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 4278 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम बुध्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय ने रिकोर्ड का पूर्ण परीक्षण कर विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर ग्राम सिस्यावास तहसील आमेर के खसरा नम्बर 39 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा माफी मन्दिर श्री गोपाल जी के नाम दर्ज थी जिसके वर्तमान जमाबन्दी सम्वत 2046 के अनुसार नवीन खसरा नं0 82 रकबा 0.29 हैक0 को जमाबन्दी तहरीर करते समय तत्कालीन राजस्व कर्मियों द्वारा मन्दिर का नाम विलोपित करते हुए सीधे ही पुजारी रामगोपाल वल्द दुर्गाबक्स, रामगोपाल वल्द रामचन्द्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स / एल.आर. / 4278 / 2006 / जयपुर सरकार बनाम बुध्या	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कोम ब्राहम्ण के नाम अंकित कर दी गई तथा वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड किए गए अंकन को निरस्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी को पुनः माफी मन्दिर श्री गोपाल जी वाके देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	